

आदमी गलती
करके जो
सीखता है वो किसी
और तरह से नहीं सीख
सकता।

- अज्ञात

विचार-प्रवाह

देहरादून बुधवार 2 सितंबर 2020

पेज थ्री

www.page3news.in

कोरोना काल में चुनाव

जाहिर है, ये तमाम निर्देश महत्वपूर्ण हैं और कोरोना के दौरान चुनाव संचालित करने के खतरों को कम करने के लिए जरूरी हैं। लेकिन इन निर्देशों में वर्चुअल रैलियों का कोई जिक्र नहीं है, जिन्हें बिहार में पहले ही आजमाया जा चुका है।

रमा पांडे।।

निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार को कोरोना काल में चुनाव संचालित करने को लेकर नए दिशा-निर्देश जारी किए। बिहार पहला राज्य है जहां ऐने कोरोना के दौरान विधानसभा चुनाव होने हैं। मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों के उपचुनाव भी इसके साथ ही कराए जाएंगे। ये चुनाव अपेक्षित समय पर और इन दिशा-निर्देशों के अनुरूप हुए तो निश्चित रूप से मतदाताओं और राजनीतिक दलों के लिए यह बिल्कुल नया चुनावी अनुभव साबित होगा।

चुनाव आयोग ने अपनी गाइडलाइंस में साफ किया है कि नामांकन के समय किसी भी प्रत्याशी के साथ दो से ज्यादा लोग मौजूद नहीं रहेंगे। घर-घर जाकर प्रचार करने का काम पांच से ज्यादा लोगों का समूह नहीं कर सकता। रोड शो में

पांच से ज्यादा वाहन नहीं हो सकते। वोटरों को भी वोटिंग के दौरान ग्लब्स दिए जाने और कोरोना संक्रमित वोटरों के लिए विशेष व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। जाहिर है, ये तमाम निर्देश महत्वपूर्ण हैं और कोरोना के दौरान चुनाव संचालित करने के खतरों को कम करने के लिए जरूरी हैं। लेकिन इन निर्देशों में वर्चुअल रैलियों का कोई जिक्र नहीं है, जिन्हें बिहार में पहले ही आजमाया जा चुका है। संभव है, निर्वाचन आयोग इस बारे में अलग से कुछ कहे। लेकिन फिलहाल उसके कुछ न कहने को रेखांकित करना इसलिए जरूरी है क्योंकि बिहार में मुख्य विपक्षी पार्टी आरजेडी समेत कई दलों ने निर्वाचन आयोग को दिए गए मुझावों में वर्चुअल रैलियों को लेवल प्लॉइंग फील्ड के खिलाफ बताया था। टीवी जैसे व्यापक

संचार माध्यम पर विपक्ष को कम स्पेस मिलना स्वाभाविक है, लिहाजा बिहार के ज्यादातर विपक्षी दल कोरोना के इस कहर के बीच राज्य में चुनाव कराने का ही विरोध कर रहे हैं। कोई कह सकता है कि अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव भी इसी दौर में होने जा रहे हैं, जबकि वहां कोरोना का प्रकोप बिहार से कहीं ज्यादा है। लेकिन एक तो अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में प्रत्यक्ष प्रचार कम होता है और टीवी तथा अन्य मीडिया एकत्रफा नहीं हो पाते, दूसरी बात यह कि वहां तय समय पर चुनाव कराना संवेधानिक बाध्यता है। अपने देश में विधानसभा चुनावों को लेकर ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। कुछ महीनों के राष्ट्रपति शासन का आसान विकल्प भी उपलब्ध है। इसका दूसरा पहलू यह है कि अभी ऐसी

कोई समय सीमा नहीं बांधी जा सकती, जिसके बाद कोरोना की बीमारी खत्म हो जाने की उम्मीद हो। ऐसे में यह स्वाल जायज है कि जब जीवन के हर क्षेत्र में जोखिम उठाकर आगे बढ़ने का फैसला हो रहा है तो लोकतंत्र के सबसे बड़े उत्सव चुनावों को ही अनिश्चित काल के लिए क्याँ टाल दिया जाए। फैसला अंतिम तौर पर चुनाव आयोग को ही करना है और यह काम वह सभी संबंधित पक्षों पर अच्छी तरह विचार करके ही करेगा। लेकिन बेहतर होगा कि विधियों की घोषणा करने से पहले वह सभी राजनीतिक दलों से एक बार फिर विचार-विमर्श कर ले। जरूरी है कि चुनाव आयोग के फैसले और इंतजाम न केवल निष्पक्ष हों, बल्कि राजनीतिक दलों और वोटरों को उनके निष्पक्ष होने का भरोसा भी हो।

इच्छाओं का सम्मान

अशोक बोहरा।

यह बात व्यावहारिक नहीं है कि अपनी इच्छाओं को कम करके खुश रहना सीखें। हां, आप अपनी ढेर सारी इच्छाओं में से चयन करें कि प्राथमिक कौन-सी है और अनावश्यक कौन-सी। जीवन में इच्छाओं का त्याग नहीं करना बिल्कुल यह समझने की जरूरत है कि हमारी इच्छाएं कितनी महत्वपूर्ण हैं। क्या हम सिर्फ अपनी इच्छाओं के लिए ही जी रहे हैं या कि हमें हमारे परिवार की इच्छाओं की पूर्ति या जरूरतों का भी ध्यान है? कहीं आप स्वार्थी तो नहीं। बहुत से लोगों को देखा है वे बाहर मजे करते रहते हैं और उनके घर में उनकी मां, पत्नी, बेटी या बेटा भूखे बैठे रहते हैं। जिन लोगों की इच्छाएं अधिक होती हैं, उनके जीवन में सुख कम होता है और वे सुख की तलाश की बजाय अपनी इच्छाओं की पूर्ति में ध्यान ज्यादा लगाकर वर्तमान की खुशी को छोड़ते रहते हैं।



संपादकीय

गलत मान्यताएं

पिछले दिनों हुई नोटबंदी के बाद जब भारत में रोजगार कम हुए तब भी पुरुषों के लिए जगह बनी रहे, इसके लिए महिलाओं को काम छोड़ने को विवेश किया गया। अध्ययन बताते हैं कि नोटबंदी के बाद उन परिवारों का प्रतिशत, जिनमें दो या अधिक सदस्य रोजगार करते हैं 34.8 से घट कर 31.8 रह गया। तब भी ज्यादातर महिलाओं ने ही रोजगार खोए। इस धारणा को स्थापित करने के प्रयास किए गए कि महिलाएं स्वयं ही रोजगार नहीं चाहतीं, परंतु यह सच नहीं है। 2018 में नंदी फाउंडेशन के एक अध्ययन में बताया गया कि भारत की आठ करोड़ किशोरी लड़कियां करियर को लेकर ढेरों उमीदें रखती हैं, पर उनकी उमीदें पूरी हो पाएंगी, कहना कठिन है क्योंकि उनके सामने वह ग्लास सीलिंग है जिसे तोड़ पाना सहज नहीं। इसे विडंबना नहीं तो और क्या कहा जाए कि विपदाओं और महामारियों के समय महिलाओं को श्रमबल से जोड़ने की तामा कोशिशों की जाती हैं लेकिन स्थितियां सामान्य होते ही उन्हें पीछे धकेलने के प्रयास किए जाते हैं। नतीजा यह कि 30 से 40 लाख महिलाओं ने अपने रोजगार छोड़ दिए। अमेरिकी लेखिका बेट्टी फ्रीडम ने अपनी पुस्तक 'फेमिनिन मिस्टिक' में लिखा कि दूसरे विश्वयुद्ध के बाद महिलाओं को यह विश्वास दिलाने की कोशिश की जाती रही कि घर की चारदीवारी में ही उनके जीवन का सारा सुख है। वे नहीं जानती थीं कि पुरुषवादी व्यवस्था के ये प्रयास दशकों बाद भी जारी रहेंगे। महिलाओं को अर्थव्यवस्था की मुख्यधारा से दूर रखने की कोशिशों आज भी की जाती हैं। किसी भी सभ्य समाज में यह स्वीकार्य नहीं होना चाहिए, परंतु बड़ी ही ढिठाई के साथ यह प्रक्रिया आज भी जारी है।

रिपोर्ट बताती है कि इन देशों में 40 फीसद से अधिक लोगों का यह मानना है कि जब अर्थव्यवस्था धीमी हो, तब नौकरियां सिर्फ पुरुषों को ही मिलनी चाहिए।

असमानता का नतीजा

ऋतु सारस्वत।।



से ही हो सकती है जबकि विश्व बैंक समूह की 2018 की रिपोर्ट इस धारणा को नकारते हुए बताती है कि कार्यबल में पुरुषों और महिलाओं की असमानता के चलते विश्व अर्थव्यवस्था को करीब 160 ट्रिलियन (1 लाख 60 हजार अरब) डॉलर की क्षति उठानी पड़ी है।

कार्यबल में महिलाओं की अस्वीकार्यता सरियों से चली आ रही है क्योंकि पुरुष अर्थव्यवस्था पर नियन्त्रित कर अपनी सत्ता और प्रभुत्व को सुनिश्चित करते आए हैं। यही कारण है कि 18वीं सदी तक महिलाएं सिर्फ वस्त्र उद्योग से जुड़े व्यवसायों में ही संलग्न हो जाने उन्हें कम वेतन और भयावह परिस्थितियों में काम करना पड़ता था। ये परिस्थितियां तब परिवर्तित हुईं जब वहले विश्व युद्ध में सभी स्वस्थ पुरुष सेना में शामिल होने लिए चले गए। पुरुषों द्वारा खाली किए गए पदों की भरपाई महिलाओं द्वारा की गई। परिवहन, अस्पताल,

उद्योग, यहां तक कि हथियार बनाने वाली फैक्ट्रियों में भी महिलाओं को शामिल किया गया। उन्हें प्रेरित करने के लिए देशप्रेम की दुहाई देते हुए अनेक प्रेरक पोस्टर दीवारों पर लगाए गए।

रुस के उद्योगों में महिलाओं का हिस्सा 43 फीसद हो गया। ऑस्ट्रिया में एक लाख महिला कर्मचारियों को शामिल किया गया। इस विश्व युद्ध में 60,000 रुसी महिलाएं बटालियन ऑफ डॉथ का भी हिस्सा बनी। फिर भी उस पुरुषवादी सोच को वे नहीं तोड़ पाईं जिसके अनुसार महिलाओं में मारक क्षमता और आक्रामकता की कमी होती है। 1918 में युद्ध समाप्ति का समय पास आते देख एक सोची-समझी नीति के तहत ब्रिटेन में 'द रेस्टोरेशन ऑफ प्री-वार प्रैविट्स एक्ट 1919' की बहाली कर महिलाओं पर दबाव बनाया गया कि वे अपनी नौकरियां स्वतंत्र छोड़ दें ताकि विश्वयुद्ध से लौटे हुए सेनिक पुनः अपना कार्यभार ग्रहण कर सकें। यही नहीं, महिलाओं पर सामाजिक दबाव बनाने के लिए 1919 में 'द इलस्ट्रेटेड सेडे हेराल्ड' में प्रश्न किया गया 'इज मॉर्डन वुमन हसी?' यानी क्या आधुनिक महिला फूहड़ है?

सारकृतिक रुद्धिवादियों के लिए यह प्रश्न नहीं, वह अभिकथन था जिसको स्थापित करने की वे हर संभव कोशिश करते रहे, ताकि महिलाओं का आन्वेषण इतना कम हो जाए कि वे स्वयं ही घर के भीतर सीमित होकर रह जाएं।

सूटोफु नवताल 5455
